रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 1996/श्रावण 4, 1918
No. 438] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1996/SRAVANA 4, 1918

## श्रम मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

**का. आ. 543(अ).**—जबकि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने अपनी दिनांक 4-2-1994 की अधिसूचना सं. का. आ. 94(अ) के तहत 25 जनवरी, 1994 को पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान जिले में इस्टर्न कोल फील्ड्स लि. की न्यू केन्डा कोलियरी में हुई दुर्घटना, जिसमें कई श्रमिक मारे गए थे, के कारणों और परिस्थितियों की औपचारिक जांच-पड़ताल करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति शमसुद्दीन अहमद, 2ए, शमसुल हुडा रोड, कलकत्ता-700017 को नियुक्त किया था, और तदोपरान्त क्रमशः छः बार दिनांक 28-4-1994 की अधिसूचना सं. का. आ. 339(अ), दिनांक 28-7-1994 का का. आ. 662(अ), दिनांक 28-10-1994 के का. आ. 77(अ), दिनांक 28-1-95 के का. आ. सं. 61(अ), दिनांक 28-4-1995 के का. आ. सं. 356(अ), के द्वारा प्रत्येक बार इस अवधि को तीन तीन माह के लिए और 28-7-1995 की अधिसूचना सं. का. आ. सं. 674(अ) तथा दिनांक 25-1-1996 के का. आ. सं. 68(अ), द्वारा प्रत्येक बार छः माह के लिए आगे बढ़ाया गया था।

और जबकि जांच-पड़ताल किए जाने और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए अवधि और बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है,

अतः जब, केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि को 25-7-1996 से आगे और तीन महीने बढ़ाती है, और तदनुसार, दुर्घटना की जांच-पड़ताल करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायमूर्ति शमसुद्दीन अहमद की नियुक्ति की अवधि और प्रो. डी. पी. सिंह, खनन इंजीनियरिंग विभाग, प्रोद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी और श्री बी. एन. तिवारी, महासचिव, कोलियरी मजदूर सभा (एटक), जी. टी. रोड, आसनसोल, जिला बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल की असेसर के रूप में नियुक्ति की अवधि भी 25-7-1996 से और तीन महीने बढ़ाई जाती है।

[फा. सं. एन-11015/1/94-आई एस एच-II]

आर. के. सैनी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1996

**S.O. 543(E).**—Whereas the Government of India in the Ministry of Labour vide notification no. S.O. 94(E) dated 4-2-94 appointed Hon'ble Justice Shamsuddin Ahmed, 2A, Shamsul Huda Road, Calcutta–700 017, formerly Judge of the Calcutta High Court to hold a formal inquiry into the causes and circumstances attending the accident that occurred in the New Kenda Colliery of Eastern Coalfields Limited in district Burdwan of West Bengal on the 25th January, 1994 causing loss

of lives and present a report within a period of three months, and subsequently extended this duration six times for a further period of three months each vide notification nos. S.O. 339(E) dated 28-4-94, S.O. 662(E) dated 28-7-94 S.O. 77(E) dated 28-10-94, S.O. 61(E) dated 28-1-95 and S.O. 356(E) dated 28-4-95 respectively and for a period of six months each vide notification nos. S.O. 674(E) dated 28-7-95 and S.O. 68(E) dated 25-1-96.

And whereas it has become necessary to further extend the period within which the inquiry is to be conducted and report presented;

Now therefore, the Central Government do hereby extend this duration for a further period of three months with effect from 25-7-96, and accordingly, the period of appointment of Hon'ble Justice Shamsuddin Ahmed to conduct the inquiry and present the report and period of appointment of Prof. D.P. Singh, Department of Mining Engineering, Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi, and of Shri B. N. Tewari, General Secretary, Colliery Mazdoor Sabha (AITUC), G.T. Road, Asansol, District Burdwan, West Bengal as assessors, is also extended for a further period of three months with effect from 25-7-96.

[File No. N-11015/1/94-ISH. II]
R. K. SAINI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996